प्रारूप–घ

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012)/ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)
(समक्षः–श्रीमती निशा गुप्ता)

Registration No.SC/181/2019
Filing No.SC/30544/2019
CNR No.MP2001-039729-2019
Filing Date 29-11-2019

–: निर्णय :–

(आज दिनांक 13.08.2026 को घोषित)

आरक्षी केन्द्र–तिलवारा जिला जबलपुर के अपराध क्रमांक– 219/2019 ''मध्यप्रदेश राज्य विरुद्ध बन्टी गौड़ ठाकुर'' अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से उद्भूत विशेष प्रकरण।

{प्रकरण संख्या एस.सी. 181/2019}
{प्र.सू.रि/अपराध क्रमांक– 219/2019}
{पुलिस थाने का विवरण}

परिवादी	राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र **तिलवारा,** जिला जबलपुर
प्रतिनिधित्व द्वारा	**श्रीमती नीना पटेल,** विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त	बन्टी गौड़ ठाकुर पिता शिवकुमार गौड़ ठाकुर, उम्र–33 साल निवासी– शाहनाला थाना–तिलवारा जिला जबलपुर (म0प्र0)।
प्रतिनिधित्व अभियुक्त द्वारा	**श्री एस.पी पटेल** अधिवक्ता उपस्थित।

प्रारूप – ड

अपराध की तारीख	16.06.2019
प्र.सू.रि.की तारीख	17.06.2019
अभियोग–पत्र की तारीख	29.11.2019
आरोपों के विरचना की तारीख	03.02.2021
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तारीख	19.02.2021
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	12.08.2026
निर्णय की तारीख	13.08.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
ए–1	बंटी गौड़ ठाकुर	11.11. 2020, 03.05.2023 एवं 05.04.2026	24.11.2020, 04.05.2023 एवं 08.04.2026	भा0द0सं0 की धारा 354, 354क (i) (ii) (iv) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 (i) सहपठित धारा 12 एवं 7	दोषमुक्त	निरंक	11.11. 2020 से 24.11. 2020 तक 14 दिवस, 03.05.23 से 04.05. 23 तक 2 दिवस एवं

				सहपठित धारा 8			05.04.26 से 08.04. 26 तक 4 दिवस **कुल–20 दिवस**

प्रारूप– च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	उत्तरजीवी	घटना की साक्षी
अ.सा. 2	उत्तरजीवी की मां	अनुश्रुत साक्षी
अ.सा. 3	उत्तरजीवी के पिता	अनुश्रुत साक्षी
अ.सा. 4	उत्तम सिंह रघुवंशी	पुलिस साक्षी
अ.सा. 5	सारिका पाण्डेय	पुलिस साक्षी
अ.सा. 6	रीना पाण्डेय	पुलिस साक्षी
अ.सा. 7	गायत्री पटेल	उत्तरजीवी की शाला के शिक्षक

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :– निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :– निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं. क.	**प्रदर्श की संख्या**	**साक्षी**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी. 1 प्रदर्श पी. 2	अ.सा. 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट घटनास्थल का मौकानक्शा

(श्रीमती निशा गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012)/**ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश,**
जबलपुर, जिला–जबलपुर, म.प्र

	प्रदर्श पी. 3 प्रदर्श पी. 4 प्रदर्श पी. 5		धारा 164 दंप्रस के न्यायालयीन कथन उत्तरजीवी की कक्षा छठवीं की अंकसूची जप्ती पत्रक
2	प्रदर्श पी. 7	अ.सा. 5	मुलाहिजा फॉर्म
3	प्रदर्श पी.8 प्रदर्श पी 8–सी प्रदर्श पी 9	अ.सा. 7	मूल दाखिल खारिज रजिस्टर मूल दाखिल खारिज रजिस्टर की छायाप्रति प्रमाण पत्र

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श – निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श –निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं – निरंक

1 अभियुक्त बंटी गौड़ ठाकुर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354–क (i), (ii), (iv) एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 तथा 11(i) सहपठित धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दण्डनीय अपराधों के अंतर्गत आरोप हैं कि दिनांक 16.06.2019 को लगभग 17.00 बजे के मध्य उत्तरजीवी के मकान के सामने, खुले मैदान में स्थित शाहनगर अंतर्गत थाना तिलवारा जिला जबलपुर में 18 वर्ष से कम आयु की उत्तरजीवी की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नीयत से उसके दोनों कंधे पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग कर लैंगिक हमला कर शब्द ''गले लग जा'' कह कर शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं कर जिसमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित था, लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग या अनुरोध कर लैंगिक आभासी टिप्पड़ी कर लैंगिक उत्पीड़न कारित किया।

2 हस्तगत प्रकरण में अप्राप्तवय उत्तरजीवी को अधिनियम की धारा–33(7) तथा दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधित प्रावधान एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप बालक की

पहचान प्रकट न किये जाने के दृष्टिगत निर्णय की अग्रिम चरणों में उत्तरजीवी लेखबद्ध किया जा रहा है।

3 अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.06.2019 को उत्तरजीवी ने थाना तिलवारा उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि उसके माता पिता शाम को 04:30 बजे शाम को बाजार गये थे, वह घर में अकेली थी तब करीब 5 बजे उसके घर के सामने खुली जगह में परदा की नहानी में वह समीज और पेंटी पहन कर नहा रही थी उसी समय मोहल्ले का रहने वाला बंटी गौड़ ठाकुर आया और बुरी नीयत से उसके दोनों हाथों के कंधे पकड़ लिया तब वह चिल्लायी तो बंटी भाग गया, फिर उसके माता पिता जब बाजार से वापिस आये तब उसने घटना की जानकारी दी और थाने रिपोर्ट करने आयी।

4 उत्तरजीवी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अप.क्र. 219/19 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत थाना तिलवारा में पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना उत्तरजीवी, उत्तरजीवी के माता पिता के कथन लेखबद्ध कर उत्तरजीवी के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के कथन कराये गये तथा उत्तरजीवी की उम्र संबंधी दस्तावेज जप्त कर उत्तरजीवी के वीडियोग्राफी कथन कराये गये। अभियुक्त के फरार होने की स्थिति में धारा 299 जा.फौ के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अभियोग—पत्र प्रस्तुत किया गया।

5 अभियुक्त पर पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354—क (i), (ii), (iv) एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 तथा 11(i) सहपठित धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के

आरोप विरचित किये जाने पर अभियुक्त ने अपराध किया जाना अस्वीकार किया तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313(1)(b) के तहत हुये परीक्षण में बचाव लिया कि रंजिशवश उसे झूठा फंसाया है।

6 प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं :–

(1) क्या घटना दिनांक 16.06.2019 को उत्तरजीवी 18 वर्ष से कम आयु की होकर पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार बालक की श्रेणी में आती थी ?

(2) क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.06.2019 को लगभग 17.00 बजे उत्तरजीवी के मकान के सामने अवयस्क उत्तरजीवी की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नीयत से उसके दोनों हाथों के कंधे पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग कर लैंगिक हमला किया ?

(3) क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर लैंगिक आशय से शब्द ''गले लग जा'' कह कर उससे शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं एवं लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग कर लैंगिक आभाषी टिप्पणी कर लैंगिक उत्पीड़न कारित किया?

(4) निष्कर्ष एवं दंडादेश ?

।। <u>निष्कर्ष एवं उनके आधार</u> ।।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 का निराकरण</u> :–

7 अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन को सर्वप्रथम यह तथ्य प्रमाणित करना है कि क्या, घटना दिनांक 16.06.2019 को उत्तरजीवी 18 वर्ष से कम उम्र की होकर अधिनियम, 2012 के प्रावधान के अनुसार बालक की श्रेणी में आती थी। आयु के निर्धारण किये जाने

के संबंध में **<u>म.प्र. राज्य विरूद्ध अनूप सिंह 2015 (3) एम.पी.एल.जे. 358</u>** का न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लैंगिक हमले की पीड़िता की आयु के निर्धारण के लिये किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण नियम 2007 के नियम 12 (3) को प्रयोज्य किये जाने का अभिमत दिया गया है। उत्तरजीवी की आयु निर्धारित किये जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टांत **<u>जरनेल सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा (2013) 7 एस0सी0सी0 263</u>** भी अवलोकनीय है।

8 अधिनियम की धारा–34 की उपधारा–2 में भी यह प्रावधान है कि यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि, कोई व्यक्ति बालक है या नहीं तो ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् किया जायेगा और वह ऐसे अवधारण के लिये उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा।

9 उत्तरजीवी की उम्र के संबंध में उत्तरजीवी अ.सा. 1 ने कक्षा नवमीं तक पढ़ना और जन्मतिथि 30.01.2002 होकर घटना के समय 17–18 साल की होने और वर्ष 2023 में 21 वर्ष की होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उसकी सबसे बड़ी बहन की उम्र 24–25 साल की होकर उसके दूसरे नंबर की होने और छोटे भाई की उम्र लगभग 18 साल की होना बताया है। उत्तरजीवी ने छोटे भाई का उससे उम्र में 3 साल छोटे होने का कथन किया है। उत्तरजीवी की मां अ.सा 2 पिता अ.सा. 03 ने उत्तरजीवी की जन्मतिथि की कोई जानकारी न होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में घटना के समय 18 साल से अधिक की होने का कथन किया है। उत्तरजीवी के पिता ने पुलिस द्वारा उससे उत्तरजीवी की अंकसूची जप्त होने से इंकार किया है। विवेचक रीना पाण्डे अ.सा 6 ने उसके द्वारा उत्तरजीवी

की कक्षा 6वीं की अंकसूची एवं स्कूल के प्रधान पाठक का प्रमाण पत्र जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी 5 तैयार करने का कथन किया है।

10 उत्तरजीवी के विद्यालय के शिक्षक अ.सा 7 ने बताया है कि वर्ष 2010 से उत्तरजीवी के स्कूल मेंप्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। उनके विद्यालय के मूल दाखिल खारिज रजिस्टर प्र0पी0 8 व 8–सी के क्रमांक 289 पर उत्तरजीवी के विद्यालय में दाखिला लेने की दिनांक 16.06.2012 अंकित होकर जन्मतिथि दिनांक 31.01.2002 होने का कथन किया है। उनके विद्यालय में उत्तरजीवी ने कक्षा छठवीं में प्रवेश लिया है तथा उत्तरजीवी की जन्मतिथि के संबंध में पूर्व प्रधान पाठक द्वारा प्रमाण पत्र प्र0पी 9 का जारी किया गया था। प्रतिपरीक्षण में रजिस्टर में एक पृष्ठ पृथक से फटा हुआ रखा होने के सुझाव को स्वीकार किया है। साक्षी ने कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने के लिए कक्षा 5वीं की टी.सी की आवश्यकता होने परंतु दाखिल खारिज रजिस्टर के साथ टी.सी व घोषणा पत्र को लेकर नहीं आने के सुझाव को स्वीकार किया है।

11 बचाव पक्ष ने तर्क किया है कि उत्तरजीवी के माता पिता द्वारा उत्तरजीवी की जन्मतिथि के संबंध में कोई कथन नहीं किया है तथा कक्षा पहली में प्रवेश लेने और कक्षा 5वीं की टी.सी प्रस्तुत नहीं की है और प्रवेश देने वाले शिक्षक के कथन न कराने से उत्तरजीवी के घटना दिनांक को 18 वर्ष से अधिक होने का तर्क किया है। अभियोजन द्वारा घटना के समय उत्तरजीवी की उम्र 18 वर्ष से कम होने के संबंध में उत्तरजीवी का कक्षा छठवीं में प्रवेश लेने के संबंध में दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्र0पी0 8–सी प्रस्तुत की है। उत्तरजीवी अ.सा. 1 ने मुख्य परीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में सबसे बडी बहन की उम्र 24–25 साल की होकर उसके दूसरे नंबर की होने का कथन किया है। उत्तरजीवी ने प्रथम बार प्रवेश के समय जन्मतिथि के संबंध में कोई जानकारी न

होना बताया है। उत्तरजीवी ने यद्यपि जन्मतिथि 31.01.2002 बतायी है परंतु उत्तरजीवी के माता पिता ने ही उत्तरजीवी की जन्मतिथि के संबंध में कोई कथन न कर घटना के समय उत्तरजीवी की उम्र 18 साल से अधिक होना बताया है और किसी भी बालक बालिका की उम्र के संबंध में सर्वोत्तम जानकारी माता पिता को होती है पंरतु उत्तरजीवी के माता पिता द्वारा ही जन्मतिथि के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

12 अभियोजन द्वारा उत्तरजीवी की जन्मतिथि के संबंध में शिक्षक अ.सा 7 के कथन कराये हैं। साक्षी ने उनके विद्यालय में उत्तरजीवी के कक्षा छठवीं में दाखिला लेना बताया है। साक्षी के द्वारा उत्तरजीवी को प्रवेश नहीं दिया गया है। प्रवेश के समय माता पिता द्वारा दिया गया प्रवेश फार्म, घोषणा पत्र, जन्मतिथि संबंधी पूर्व का अभिलेख तथा कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण करने के उपरांत पूर्व विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। साक्षी ने बताया है कि कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 5वीं की टी.सी की आवश्यकता होती है और दाखिल खारिज रजिस्टर में टी.सी के आधार पर जन्मतिथि लिखे जाने का कोई उल्लेख न होने के सुझाव को स्वीकार किया है। कक्षा पहली में प्रवेश के समय जन्मतिथि किस आधार पर व किसके द्वारा लिखायी गयी थी, के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आयी है।

13 उत्तरजीवी के माता पिता ने भी उत्तरजीवी का प्रवेश कराने और प्रवेश कराते समय उत्तरजीवी की जन्मतिथि लिखाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। साक्षी के कथन से उत्तरजीवी की जन्मतिथि कक्षा पांचवी की टी.सी के आधार पर ही लिखा जाना दर्शित नहीं होता है। अभियोजन द्वारा उत्तरजीवी के स्कूल में प्रवेश लेते समय उत्तरजीवी की वास्तविक आयु के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। **<u>माननीय सर्वोच्च</u>**

न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत संजीव कुमार गुप्ता विरूद्ध स्टेट ऑफ उ.प्र. व अन्य 2019 एस सी सी 926 में यह अभिमत दिया है कि स्कूल के रिकॉर्ड में जन्मतिथि बिना किसी आधारभूत दस्तावेजों के लेख की गई है, वह प्रमाणित एवं विश्वसनीय होना स्वीकार नहीं की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में भी जन्मतिथि लिखे जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

14 **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विदमल सिंघवी विरूद्ध आनंद पुरोहित ए आई आर 1988 सु.को. 1796** में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी लोक या अन्य शासकीय पुस्तक पंजी या अभिलेख में की गई प्रवृष्टि जो किसी लोक सेवक द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में रखे गये पुस्तक रजिस्टर या अभिलेख में की जाती है, वह सुसंगत तथ्य है, लेकिन स्कूल के अभिलेख में की गई प्रवृष्टि किसी व्यक्ति के उम्र के बारे में वह उम्र किस आधार पर अभिलिखित की गई है, इसकी सामग्री के अभाव में अधिक साक्षिक मूल्य नहीं रखती है, केवल दस्तावेज स्कूल का रजिस्टर है, इतना प्रमाणित होने से उसकी अंर्तवस्तु या जन्मतिथि का सही होना प्रमाणित नहीं हो जाता है। स्कूल का रिकॉर्ड प्रस्तुत होने पर उसमें लिखी जन्म तारीख किस आधार पर लिखी गई है, विचार किया जाना चाहिये।

15 न्यायदृष्टांत **सुधा विरूद्ध चरन सिंह 2007 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 118 में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय** द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां यह स्पष्ट नहीं किया गया हो कि विद्यालय के अभिलेख में प्रवृष्टि किस आधार पर की गई है, वहां विद्यालय की अभिलेख की प्रवृष्टि पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी इस बिन्दू पर कोई साक्ष्य नहीं आयी है कि प्रवेश के समय उत्तरजीवी की जन्मतिथि किस आधार पर लेख की गई थी, उत्तरजीवी के माता पिता ने ही उत्तरजीवी के जन्मतिथि लिखाये जाने और

जन्मतिथि के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। उत्तरजीवी के माता पिता ने भी उत्तरजीवी की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से अधिक की होना बताया है। जिससे दाखिला पंजी प्र.पी. 8–सी के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

16 यह उल्लेखनीय है कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धी के लिये अभियोजन पर यह गुरूत्तर दायित्व है कि घटना के समय उत्तरजीवी का अवयस्क होना प्रमाणित करे। अभियोजन साक्षीगण उत्तरजीवी और उसके माता पिता तथा शिक्षक के कथन से उत्तरजीवी का घटना के समय 18 वर्ष से कम होना दर्शित नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महेश टिग्गा विरूद्ध झारखंड राज्य 2020(10)एस सी सी 108** में यह अभिमत दिया है कि घटना दिनांक को उत्तरजीवी की आयु के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिये। अभियोजन साक्ष्य से उत्तरजीवी का घटना के समय 18 साल से कम होना दर्शित नहीं होता है, जिससे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन इस तथ्य को प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना के समय उत्तरजीवी 18 वर्ष से कम उम्र की होकर बालक की श्रेणी में आती है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 उपरोक्तानुसार निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 लगायत 04 का निराकरण :–

17 उक्त सभी विचारणीय प्रश्न एक–दूसरे से अंतर्मिश्रित होने से साक्ष्य का दोहराव न हो, इस कारण उनकी साक्ष्य विवेचना एक ही साथ की जा रही है।

18 उत्तरजीवी अ0सा0 2 ने बताया है कि लगभग 4 वर्ष पूर्व तिलवारा के शाहीनाला के पास शाम करीब 5 बजे घर के सामने बनी नहानी में नहा रही थी उसी समय आरोपी उससे आकर बोला कि आ गले लग जा, तब वह

आरोपी को धकेल कर अपने घर के अंदर आ गयी थी और पिता को जानकारी देने पर पिता द्वारा पुलिस को फोन लगाने पर थाने जाकर रिपोर्ट प्र0पी 1 की लेख करायी गयी थी। अभियेाजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर बाथरूम में पर्दा लगा होने और समीज व पेंटी पहनकर नहाते समय आरोपी द्वारा आकर उसके देानेां हाथों के कंधे को पकड़ने के सुझात्मक सुझाव मात्र को स्वीकार किया है। उत्तरजीवी ने पूर्व न्यायालय में प्र0पी 3 के कथन व पुलिस द्वारा मौके पर आकर नक्शामौका प्र0पी 2 तैयार किया जाना बताया है। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में आरोपी द्वारा घटना कारित किये जाने से इंकार किया है। उत्तरजीवी ने ही पुलिस द्वारा कोरे कागजों पर हस्ताक्षर मात्र किये जाने और घटना के पूर्व से आरोपी को नहीं जानने का कथन किया है।

19 उत्तरजीवी की मां अ.सा. 2, उत्तरजीवी के पिता अ.सा. 3 ने घ
ाटना के समय बाजार जाने और वापिस आने पर उत्तरजीवी द्वारा घर के बाहर बनी नहानी में नहाते समय आरोपी द्वारा हाथ पकड़कर खींचने से उसके द्वारा आरोपी को धक्का देकर घर के अंदर आने की जानकारी दी थी। साक्षी ने जानकारी के पश्चात पुलिस द्वारा पूछताछ करने का कथन किया है। बचाव पक्ष द्वारा किये गये गये प्रतिपरीक्षण में घटना के समय मौके पर नहीं होने के सुझाव को स्वीकार कर उत्तरजीवी द्वारा घटना की कोई जानकारी न देना बताया है। उत्तरजीवी के माता पिता ने आरोपी के उनके पड़ोस में रहने के कारण लड़ाई झगड़ा होने परंतु उत्तरजीवी के साथ कोई घटना न करने का कथन किया है। उत्तरजीवी के माता पिता द्वारा घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है।

20 सारिका पांडे अ.सा 5 ने बताया है कि दिनांक 17.06.2019 को थाना तिलवारा मे ंनिरीक्षक प्रभारी के पद पर पदस्थ थी। उत्तरजीवी की मौखिक सूचना के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना तिलवारा के अपराध क 219/19

पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी 1 की लेख कर मौके पर जाकर उत्तरजीवी एवं उत्तरजीवी के पिता की निशादेही पर नक्शामौका प्र0पी 2 तैयार किया था। विवेचना के दौरान उत्तरजीवी एवं उसकी मां के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे। प्रतिपरीक्षण में रिपोर्ट लिखने के पूर्व कोई जांच नहीं किये जाने के सुझाव को स्वीकार किया है। साक्षी ने नक्शामौका प्र0पी 2 में आसपास के किसी व्यक्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं कराने और किसी व्यक्ति के कोई कथन नहीं लेना बताया है। रीना पांडे अ.सा. 6 ने अग्रिम विवेचना के दौरान उत्तरजीवी के पिता के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया जाना बताया है।

21 बचाव पक्ष ने तर्क किया है कि उत्तरजीवी ने घटना घर के बाहर की बतायी है परंतु घर के आसपास के किसी व्यक्ति के कोई कथन न कराने से कोई घटना न होने का तर्क किया है। घटना स्थल घर के बाहर बनी नहानी बतायी है। उत्तरजीवी ने प्रतिपरीक्षण में घटनास्थल के आसपास कई लोगों के मकान बने होने के सुझाव को स्वीकार किया है। नक्शामौका प्र0पी 2 में घ ाटनास्थल के आसपास कई लोगों के मकान दर्शाये गये हैं परंतु घटना के संबंध में किसी व्यक्ति के कोई कथन नहीं लिये हैं। घटना दिन के समय की बतायी गयी है। दिन के समय में घटना होने पर निश्चित ही आसपास के लोगों द्वारा घटना देखी जाती व घटना के संबंध में जानकारी होती परंतु घटना के संबंध में किसी व्यक्ति की कोई साक्ष्य न होना और किसी व्यक्ति से कोई पूछताछ न किया जाना घटना को अस्वाभाविक कर देता है।

22 बचाव पक्ष ने तर्क किया है कि उत्तरजीवी व उत्तरजीवी के माता पिता ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विरोधाभासी कथन किये हैं और उत्तरजीवी ने मुख्य परीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में आरोपी द्वारा घटना कारित करने से इंकार किया है। उत्तरजीवी अ.सा. 1 ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर घर के

सामने बनी नहानी में आरोपी के आकर उसके कंधे को पकड़ना बताया है। उत्तरजीवी ने ही मुख्य परीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में आरोपी द्वारा कोई घटना नहीं किये जाने का कथन किया है तथा आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाये जाने से इंकार किया है। उत्तरजीवी ने यद्यपि मुख्य परीक्षण में आरोपी द्वारा घटना कारित करना बताया है और प्रतिपरीक्षण में घटना कारित करने से इंकार किया है परंतु उत्तरजीवी द्वारा डर अथवा दबाव के कारण प्रतिपरीक्षण में आरोपी के घटना कारित करने से इंकार किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है। उत्तरजीवी ने ही प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अभियोजन घ ाटना से हटकर आरोपी के उसके साथ नहाते समय कंधे पकडने व कंधा पकड़कर घटना कारित करने से इंकार किया है।

23 उत्तरजीवी की मां अ0सा0 2 व पिता अ.सा. 3 ने मुख्य परीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में आरोपी के द्वारा कोई घटना कारित न करना बताया है। साक्षीगण ने घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित होने से इंकार किया है। साक्षीगण ने बताया है कि आरोपी उनके घर के पास ही रहता है, परंतु आरोपी द्वारा उत्तरजीवी के साथ कोई घटना कारित नहीं की गई है। साक्षीगण ने उत्तरजीवी के साथ आरोपी द्वारा घटना कारित किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, यद्यपि उत्तरजीवी के माता–पिता ने मुख्यपरीक्षण में आरोपी द्वारा घटना कारित करने की जानकारी उत्तरजीवी द्वारा दिया जाना बताया है और मुख्यपरीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में आरोपी द्वारा घटना कारित किए जाने से इंकार किया है। उत्तरजीवी के माता पिता घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं तथा प्रतिपरीक्षण में घटना की जानकारी उत्तरजीवी द्वारा देने से इंकार किया है। घटना की महत्वपूर्ण साक्षी उत्तरजीवी के द्वारा ही घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है, जिससे उत्तरजीवी के माता पिता की साक्ष्य के

आधार पर अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24 उत्तरजीवी अ.सा. 2 ने मुख्यपरीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराया जाना बताया है। मुख्यपरीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में आरोपी को नहीं जानने से आरोपी के विरूद्ध कोई रिपोर्ट नहीं किए जाने का कथन किया है। उत्तरजीवी रिपोर्ट में पुलिस द्वारा ही नाम लिख लेने व न्यायालय में आरोपी का नाम मात्र लिखा देना बताया है, परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आरोपी द्वारा घटना कारित किए जाने से इंकार किया है। उत्तरजीवी के कथन से ही आरोपी द्वारा उत्तरजीवी के नहाते समय नहानी पर आकर दोनों कंधे पकड़कर अश्लील शब्द उच्चारित किया जाना दर्शित नही होता है। आरोपी को घटना कारित करते हुए उत्तरजीवी के माता–पिता, तथा आस–पास के किसी व्यक्ति द्वारा नही देखा गया है। अभियोजन साक्षी व उत्तरजीवी के कथन से आरोपी द्वारा बुरी नियत से घटनास्थल जाकर उत्तरजीवी की लज्जा भंग करने के आशय से कंधे पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग कर लैंगिक हमला करना दर्शित नही होता है। अन्य अभियोजन साक्ष्य से भी अभियोजन घटना की पुष्टि नही होती है।

25 इस प्रकार से अभिलेख पर अभियोजन की जो साक्ष्य आई है उससे अभियोजन इस तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि दिनांक 16.06.2019 को लगभग 17.00 बजे के मध्य उत्तरजीवी के मकान के सामने, खुले मैदान में स्थित शाहनगर अंतर्गत थाना तिलवारा जिला जबलपुर में 18 वर्ष से कम आयु की उत्तरजीवी की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नीयत से उसके दोनां कंधे पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग कर लैंगिक हमला कर शब्द ''गले लग जा'' कह कर शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं कर जिसमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित था,

लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग या अनुरोध कर लैंगिक आभासी टिप्पड़ी कर लैंगिक उत्पीड़न कारित किया।

26 अतः अभियुक्त **बंटी गौड़ ठाकुर** को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354–क (i), (ii), (iv) एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 तथा 11(i) सहपठित धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोपित अपराध के **दोषमुक्त** किया जाता है।

27 अभियुक्त के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त जमानत पर स्वतंत्र है अतः अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437–ए द0प्र0सं0 के प्रावधानों का पालन करें।

28 प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति उत्तरजीवी की कक्षा छठवीं की मूल अंकसूची जप्त है जिसे उत्तरजीवी व उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा आवेदन सहित सत्यापित प्रति पेश करने पर विधिवत प्रदान किया जावे।

29 अभियुक्त का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत प्रमाण–पत्र तैयार किया जावे।

30 निर्णय की एक प्रतिलिपि जिला दण्डाधिकारी जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

जबलपुर, दिनांक–13.08.2026

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / –

(श्रीमती निशा गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012) / ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर, जिला–जबलपुर, म.प्र.

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही / –

(श्रीमती निशा गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012) / ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर, जिला–जबलपुर, म.प्र.

NISHA GUPTA

Digitally signed by NISHA GUPTA
Date: 2026.08.13 17:01:05 +0530

(श्रीमती निशा गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012) / **ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर, जिला–जबलपुर, म.प्र**